


— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 1663 दि. 23.04.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी महिपाल राड़ के हक बंट खातेदारी में मौजा-धानणीतहसील-जायल के खसरा नं. 163रकबा 3.3580 हैक्टैयर, खसरा नं. 164 रकबा 0.4856 हैक्टैयर सम्पूर्ण हिरसा प्रस्ताव के नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
 2. प्रतिवादी बीरबल राड़के हक बंट खातेदारी में मौजा-धानणी तहसील-जायल के खसरा नं. 162रकबा 11.5254 हैक्टैयर में से रकबा 5.8436 उत्तरी भाग माफिक पीडी प्रस्ताव के नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
 3. प्रतिवादी 1 रामनिवास, मुन्नी व सुमित्रा की सहखातेदारी तथा हक बंट में मौजा-धानणी तहसील-जायल के खसरा नं. 162 में से 11.5254 हैक्टैयर में से 5.6818 हैक्टैयर दक्षिणी भाग माफिक पीडी प्रस्ताव के नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
- तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 23.04.2021 आदेश का अभिन्न भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 29/6/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।


29/6/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल